साइबर ठगी में रायगढ़ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन : 75 लाख की ठगी मामले के 14 आरोपियों को बिहार से किया गया गिरफ्तार

ठगी के लिए इस्तेमाल 40 मोबाइल, 49 एटीएम, बैंक पासबुक और नकदी रुपए बरामद

❑ खरसिया के व्यक्ति से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डीलरशिप के नाम हुई थी ठगी

❑ पुलिस टीम ने इंटर-स्टेट साइबर गिरोह के नेटवर्क को तोड़ा

रायगढ़

खरसिया थाना क्षेत्र में एक बड़े साइबर ठगी मामले का पर्दाफाश करते हुए रायगढ़ पुलिस ने 75 लाख रुपये की धोखाधड़ी में संलिप्त एक अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया, जिसने मामले को सुलझाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। एसपी दिव्यांग पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में संपूर्ण घटना का खुलासा और पुलिस की कार्यवाही की जानकारी प्रेस से साझा की।

घटना का विवरण :

पीड़ित व्यवसायी ने करीब डेढ से दो माह पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डीलरशिप के लिए फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा और दिए गए नंबर पर संपर्क किया। कॉलर ने खुद को कंपनी का प्राधिकृत कर्मचारी बताया और धीरे-धीरे पीड़ित से विभिन्न शुल्कों के नाम पर 75 लाख रुपये ठग लिए। जब डीलरशिप नहीं मिली और आरोपियों ने और पैसे की मांग की, तब व्यवसायी को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने खरसिया थाना में शिकायत दर्ज कराई। थाना खरसिया में अज्ञात मोबाइल धारकों के विरूद्ध अप.क्र. 467/2024 धारा 318, 61(2)(a) पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई :

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। घटना के 24 घंटे के अंदर इस 9 सदस्यीय टीम ने बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की और एक हफ़्ते चले इस लंबे ऑपरेशन में बैंक खातों की जांच, मोबाइल नंबरों के विश्लेषण और बैंक सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

तरीका- ए-वारदात :-

आरोपीगण एक संगठित सिंडिकेट बनाकर कुल 8 परतों (layers) में ठगी को अंजाम देते थे।

LAYER -1 खाता धारक जिनके नाम से फ्रॉड के पैसे मँगवाने हेतु खाता खुलवाए जाते थे।

LAYER-2 जिनके द्वारा खाता धारक के आधार कार्ड में उनके वास्तविक पते को बदलकर फ़र्ज़ी पता दर्ज किया जाता था।

LAYER-3 जिनके द्वारा कलकत्ता पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों से फ़र्ज़ी सिम लाकर उपलब्ध कराया जाता था ताकि इन सिम कार्ड का प्रयोग फ्रॉड कॉलिंग एवं बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के रूप में किया जा सके।

LAYER-4 जो फ्रॉड सिम एवं फ्रॉड एड्रेस ke आधार पर LAYER-1 के साथ विभिन्न बैंकों में उनका खाता खुलवाने जाते थे।

LAYER- 5 पोस्ट आफ़िस के डाकिया जिसके द्वारा बैंक से रजिस्टर्ड डाक में प्राप्त ATM कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों को फ़र्ज़ी एड्रेस पर डिलीवर किया जाता था।

LAYER-6 जिनके द्वारा पोस्टमैन से सभी फ़र्ज़ी खाता धारकों का एटीएम, पासबुक चेक बुक आदि प्राप्त किया जाता था एवं फ्रॉड पैसे खाते में आने पर तुरंत पैसों का आहरण करके मुख्य सरग़ना को दिया जाता था।

LAYER -7 जो प्रतिदिन फ्रॉड कॉलिंग करने वालों को उपलब्ध/active अकाउंट की जानकारी देते थे ताकि उसमें प्रार्थी को ठगकर उसके पैसे मंगाए जा सके।

LAYER -8 मुख्य कॉलिंग टीम जो फ़र्ज़ी नंबरों का प्रयोग कर प्रार्थी को कॉल कर ठगी को अंजाम देते थे एवं पैसा आने पर नीचे के सभी लेयर्स को यथोचित कमीशन बाटते थे। इस प्रकार पुलिस की पकड़ में आने से बचने के हर संभव प्रयास के बावजूद भी रायगढ़ पुलिस द्वारा अपनी सूझबूझ और कार्यकुशलता से इस गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है निकट भविष्य में और भी आरोपियों के पकड़े जाने की संभावना है।

पटना, बिहार रेड में इनकी रही अहम भूमिका -

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय, एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल, डीएसपी अमन लखीसरानी, थाना प्रभारी खरसिा निरीक्षक कुमार गौरव साहू, सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर, प्रधान आरक्षक सतीश पाठक (जूटमिल), करुणेश राय (कोतरारोड़), सायबर सेल आरक्षक प्रशांत पंडा, महेश पंडा, विकास प्रधान, नवीन शुक्ला, पुष्पेन्द्र जाटवर, थाना खरसिया के आरक्षक साविल चंद्रा, प्रदीप तिवारी, मुकेश यादव, योगेश साहू, डमरूधर पटेल और महिला आरक्षक गुणवती भगत की अहम भूमिका रही है। सायबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, बृजलाल गुर्जर, रेणु सिंह मंडावी, आरक्षक धनंजय कश्यप, प्रताप बेहरा, सुरेश सिदार, रविंद्र गुप्ता, विक्रम सिंह और महिला आरक्षक मेनका चौहान का विशेष योगदान रहा है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम –

(1) सावन कुमार पिता रामबाबू उम्र 34 वर्ष निवासी दौलतपुर पीटर इंग्लैंड शोरूम के पास पोस्ट जमालपुर थाना जमालपुर जिला मुंगेर (बिहार) हाल मुकाम पटेल कलानी संदलपुर थाना बहादुरपुर जिला पटना (बिहार)

(02) कुमार विद्यानंद पिता विद्या भूषण प्रकाश उम्र 37 वर्ष निवासी पिरोजा थाना एकरसराय जिला नालन्दा बिहार हाल ठिकाना रामकृष्ण नगर थाना रामकृष्ण नगर जिला पटना (बिहार)

(03) मिंकू कुमार उर्फ सोनू पिता उमेश प्रसाद उम्र 24 वर्ष निवासी गुलाबचक थाना हिल्सा जिला नालन्दा (बिहार) हाल पता रामकृष्ण नगर मुकेश सिंह का घर थाना रामकृष्ण नगर जिला पटना (बिहार)

(04) विकास कुमार पिता अरविन्द प्रसाद उम्र 29 वर्ष निवासी ग्वाल बिगहा पोस्ट मानिकपुर पुलिस थाना करय परशुराय जिला नालन्दा (बिहार) हाल मुकाम रामकृष्ण नगर थाना रामकृष्ण नगर जिला पटना (बिहार)

(05) नयन पांडे उर्फ प्रदुमन उर्फ भार्गव पिता विजय पांडे उम्र 25 वर्ष निवासी नोनौरा थाना नूरसराय जिला नालन्दा (बिहार), साहपुर देवनगर कॉलोनी रोड नं. 01 थाना रामकृष्ण नगर जिला पटना (बिहार)

(06) पवन कुमार पिता राम नरेश कुमार महतो उम्र 36 वर्ष निवासी बस्ती वार्ड नं. 3 थाना हरनौद जिला नालंदा हाल मुकाम शाहपुर देवनगर रोड नं. 01 थाना रामकृष्ण नगर जिला पटना (बिहार)

(07) सतीश कुमार पिता राजू महतो उम्र 20 वर्ष निवासी धरमपुर थाना कसार जिला शेखपुरा बिहार हाल मुकाम साहपुर थाना रामकृष्ण नगर जिला नालन्दा (बिहार)

(08) राहुल कुमार पिता राम बचन पंडित उम्र 20 वर्ष निवासी शकरोड़ा थाना नगरोसा जिला नालन्दा हाल स्थान न्यू जगनपुरा सुभाष नगर रोड नंबर 14 रामकृष्ण नगर थाना रामकृष्ण नगर जिला पटना (बिहार)

(09) अंकित कुमार पिता मुन्ना प्रसाद उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 70 नंदगोला बड़ी संगत दिवेन्दर यादव का मकान थाना मरसलामी जिला पदना

(10) शुभम कुमार महतो पिता नरेश महतो उम्र 29 वर्ष निवासी बस्ती थाना हरनौद जिला नालन्दा (बिहार)

(11) अनिल कुमार शर्मा पिता रामधीन शर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी हरगावा पोस्ट हरगावा थाना मानपुर जिला नालन्दा (बिहार)

(12) पिन्टू कुमार पांडे पिता सुनील पांडे 20 वर्ष निवासी नरौरा, थाना नूरसराय जिला नालन्दा (बिहार)

(13) आरती कुमारी पिता शर्मानंद मिस्त्री उम्र 19 साल निवासी जीवनचक थाना शाजहांपुर, पटना (बिहार)

(14) पप्पू कुमार पिता कमल तिवारी उम्र 32 साल निवासी रायपुरा इमली चौंक पोस्ट व थाना फतुहा, जिला पटना (बिहार)

महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 722.9 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 20 अगस्त तक 722.9 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 11.9 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 878.8 मिली मीटर, पुसौर में 835.4, खरसिया में 701.3, घरघोड़ा में 710, तमनार में 671.9, लैलूंगा में 648, मुकडेगा में 666.2, धरमजयगढ़ में 589.3 छाल में 704.9 एवं कापू में 823 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

आंगनबाड़ी में रिक्त सहायिका पद के लिए 30 अगस्त तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना खरसिया जिला-रायगढ़ अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त सहायिका पद के लिए 30 अगस्त 2024 तक आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन पत्र नियत तिथि तक कार्यालयीन समय में कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना खरसिया जिला-रायगढ़ में सीधे जाकर आवेदन जमा कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए परियोजना कार्यालय खरसिया में संपर्क कर सकते है।

आवास मित्र पद के लिए आवेदन रजिस्टर्ड डाक से 9 सितंबर तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में आवास मित्र, समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु, परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना कार्यालय जनपद परिसर सारंगढ़ में 09 सितंबर 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 09/09/2024 तक प्रस्तुत किये जाएंगे। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। योजनांतर्गत आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के वेबसाईट सारंगढ़ बिलाईगढ़ डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना कार्यालय जनपद पंचायत सारंगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

सीबीआई के हवाले होगी महादेव ऑनलाइन सट्टा एप की जांच, छत्तीसगढ़ में दर्ज सभी 70 प्रकरणों को सौंपने की तैयारी

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ सरकार ऑनलाइन महादेव सट्टा एप घोटाला मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने जा रही है। मामले में राज्य के अलग-अलग जिलों के पुलिस थानों में 70 प्रकरण दर्ज हैं। अधिकारियों के मुताबिक इनकी फाइल सीबीआइ को सौंपने के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही महादेव सट्टा एप घोटाले में फंसे व्यक्तियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में प्रदेश कई बड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी), 420, आइपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धाराओं के तहत दर्ज हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार आने के बाद राज्य की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्लयू) को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी जांच :-

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान अक्टूबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव सट्टा एप मामले की जांच शुरू की थी।

पहली बार दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इन्हीं प्रकरणों के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया था। रायपुर में जनवरी 2024 से अब तक 80 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेशभर में यह आंकड़ा करीब 600 है।

इसी तरह छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी पुलिस ने एफआइआर दर्ज करके कार्रवाई की है। ईडी ने पहली गिरफ्तारी अगस्त 2023 में की थी।

चार लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने इसे मनी लांड्रिंग से जोड़ा था। अक्टूबर 2023 में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। इनमें पूर्व सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा से पूछताछ हुई थी।

सीबीआई को यह तीसरा मामला

राज्य में पांच साल बाद सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सीजीपीएससी 2021 की भर्ती की जांच से हुई है। इसके अलावा बिरनपुर हिंसा मामले में भी सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। महादेव एप घोटाले की यह तीसरी सीबीआइ जांच होगी।

विधायक देवेंद्र यादव को नहीं मिली जमानत, 27 तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में

रायपुर/बलौदाबाजार । आरएनएस

बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब विधायक देवेंद्र यादव को 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में न्यायाधीश अजय खाखा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद

कोर्ट ने विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका को खारीज करते हुए उनकी न्यायिक रिमांड को 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। जिसके चलते अब विधायक यादव 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।

ईडी और इओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारीज

बिलासपुर । आरएनएस

प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईडी और इओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। वहीं एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी। लेकिन, अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टुटेजा को मिली अंतरिम राहत को भी खारिज दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर की गई थीं। जिसमें शराब घोटाला मामले में ईडी की दोबारा की जा रही कार्यवाही और साथ ही ईओडब्लू/एसीबी की ओर से दर्ज एफ़ आईआर को चुनौती देते हुए ख़ारिज करने की याचिका दायर की गई थी। इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी। ये सभी याचिकाएं विधु गुप्ता, अनवर ढ़ेबर, निदेश पुरोहित, यश पुरोहित, अनिल टूटेजा, अरुण त्रिपाठी, निरंजन दास की ओर से दायर की गई थीं।

मकान तथा जमीन दिलाने के नाम पर एक करोड़ की ठगी करने वाला मुख्य आरोपी पकड़ाया

रायपुर । आरएनएस

राजधानी के कमल विहार में स्वतंत्र मकान तथा जमीन दिलाने के नाम पर लगभग एक करोड़ रूपयों की ठगी के मामले में फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने उडिसा से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पहले ही दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों ने मकान व जमीन दिलाने नाम पर 32 लोगों से लगभग एक करोड़ रूपयों की ठगी की थी और फरार हो गये थे।

बता दें कि कुछ समय पहले प्रार्थिया सरिता करकाड़े एवं अन्य 32 लोगों द्वारा थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, कि वर्ष 2022 से जुलाई 2024 तक अभय कुमार यादव निवासी उडीसा एवं उनके साथी चेतना यादव, निहाल यादव एवं अन्य निवासी लालपुर पटेल चौक सभी मिलकर टिकरापारा थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित कमल विहार सेक्टर 01 में स्वतंत्र मकान व जमीन दिलाने के नाम पर प्रार्थिया एवं अन्य से नगद एवं ऑनलाईन के माध्यम से लगभग एक करोड़ रूपये प्राप्त कर ठगी कर ऑफिस एवं अपने मोबाईल फ ोन को बंद कर फरार हो गये थे। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में धारा 318(4), 336, 3(5) भा.न्याय. संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा आरोपियों की तलाश की जा रही थी। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा पूर्व में आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी चेतना यादव पिता देव प्रसाद यादव उम्र 25 साल निवासी ग्राम लालपुर छपोरा थाना विधानसभा जिला रायपुर एवं निहाल यादव पिता देवप्रसाद यादव उम्र 22 साल निवासी ग्राम लालपुर छपोरा थाना विधानसभा जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया था। वहीं मामले में मुख्य आरोपी खीरसिन्दुर सागर उर्फ अभय यादव पिता बिनोद सागर उम्र 42 साल निवासी ग्राम जटगढ़ थाना कोमना जिला नुआपाड़ा उड़ीसा फरार था जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ कर उनके छिपने के हर संभावित स्थानों में रेड कार्यवाही करने के साथ ही अन्य माध्यमों से आरोपियों की पतासाजी कर रही थी।

इसी दौरान सूचना के आधार पर प्रकरण में उड़ीसा निवासी मुख्य आरोपी खीरसिन्दुर सागर उर्फ अभय यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की नगदी रकम 3 लाख रूपये एवं घटना से संबंधित एक मोबाईल फ ोन जप्त किया है। आरोपी खीरसिन्दुर सागर उर्फ अभय यादव द्वारा ठगी के पैसों से एक बुलेट दोपहिया वाहन एवं एक माल वाहक वाहन टाटा एस खरीदकर उड़ीसा में रखना बताया। वहीं इस मामले में अब भी संलिप्त अन्य आरोपी फरार है, जिनकी पतासाजी की जा रही है।

स्कूली बच्चों के जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने चलाएं अभियान- कलेक्टर गोयल

❑ आंगनबाड़ी केंद्रों से पूरक पोषण आहार वितरण और गर्म भोजन उपलब्ध करवाने के नियमित मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

❑ पीएम जनमन से शत-प्रतिशत हितग्राहियों को जोड़ने के निर्देश

❑ जल जीवन मिशन में ओवर हेड टैंक की पूर्णता पर जोर

❑ कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़

कलेक्टर गोयल ने आज समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय काम काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है स्कूलों में नवप्रवेशी बच्चे जिनके आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र नहीं है अभियान चलाकर उसे बनवाएं। शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी इसमें आपसी समन्वय से काम करें।

कलेक्टर गोयल ने जिले के स्थाई विस्फोटक लाइसेंसधारियों की बैठक लेकर विस्फोटकों के भंडारण और परिवहन के संबंध में जानकारी लेने के निर्देश एडीएम संतन देवी जांगड़े को दिए। उन्होंने कहा कि विस्फोटकों का परिवहन अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना होता है। इसके परिवहन की सूचना कलेक्ट्रेट के साथ ही उस क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय और पुलिस थाना में भी दी जानी चाहिए। कलेक्टर गोयल ने सीएम जनदर्शन और जन समस्या निवारण शिविरों से प्राप्त होने वाले आवेदनों का गुणवत्ता पूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल द्वारा चयनित सहकारी समिति में मेडिकल स्थापित किए जाने के काम की प्रगति के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेने पर बताया गया कि अनुमति की प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। इसके पश्चात सॉफ्टवेयर अपडेशन और ऑर्डर प्लेसमेंट का काम बाकी रह गया है। कलेक्टर गोयल ने अगले टीएल से पहले दवा दुकान प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर गोयल ने समाज कल्याण विभाग के पेंशनधारियों के डीबीटी और आधार सीडिंग अपडेशन के बारे में जनपद पंचायत और नगरीय निकाय वार जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अभी प्राप्त होने वाले सभी आवेदन डीबीटी और आधार सीडिंग के साथ भरे जाएं। साथ ही पूर्व के आवेदनों को भी शत- प्रतिशत डीबीटी के लिए अपडेट किया जाए। महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर गोयल ने पूरक पोषण आहार के तहत टेक होम राशन और गर्म तैयार खाने के वितरण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लैलूंगा और मुकडेगा में विशेष रूप से ध्यान देते हुए पूरे जिले में आंगनबाड़ी से दोनों योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में निर्मित टीबी वार्ड के भवन में सारा काम पूरा करते हुए हैंडओवर की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर गोयल ने राशन कार्ड धारियों के ई-केवाईसी की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ई केवाईसी अपडेशन में तेजी लाने की आवश्यकता है, खासकर नगरीय निकायों में इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। उन्होंने खाद्य विभाग के साथ सभी एसडीएम और सीएमओ से कहा कि जिनका अपडेशन छूट गया है उनसे डोर टू डोर सर्वे कर ई केवाईसी का काम पूरा करें। इसी के साथ उन्होंने पीडीएस बारदाना जमा किए जाने में भी तेजी लाए जाने की बात कही। कलेक्टर गोयल ने शत-प्रतिशत पीडीएस दुकानों के ऑनलाइन संचालन के निर्देश दिए।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, एडीएम संतन देवी जांगड़े, आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

शत प्रतिशत विशेष पिछड़ी जनजाति को जोड़ें पीएम जनमन से

कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर की शत-प्रतिशत जनसंख्या को पीएम जनमन योजना से जोड़ा जाए। उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनने के साथ सभी योजनाओं से मिलने वाली सहायता का लाभ मिलना चाहिए। विशेष पिछड़ी जनजाति वाली बसाहटों में अधोसंरचना विकास के कामों को तेजी से मंजूरी देने के साथ पूरा किया जाए।

ओवर हेड टंकियों के पूर्णता पर दें जोर

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर गोयल ने ईई पीएचई से कहा कि ओवर हेड टैंक और जल स्त्रोत के शेष कार्य को जल्द पूरा कराएं। इसकी हर सप्ताह समीक्षा की जायेगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480